

डिस्क्लेमर

आदेश संख्या 32/2023-24 के मुख पृष्ठ, निर्णयों का सार और आदेश संबंधी अध्यायों का हिंदी अनुवाद संलग्न है। इस हिंदी पाठ के अंतर्गत दी गई किसी भी व्याख्या या अर्थ के संदर्भ में कोई भी भ्रान्ति या संदेह होने पर कृपया अंग्रेजी पाठ को ही प्रामाणिक माना जाए।



भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण

मैसर्स इंडोथाई वाराणसी प्राइवेट लिमिटेड (आईवीपीएल) के संबंध में लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, वाराणसी में हैंडलिंग सेवाओं के लिए प्रथम नियंत्रण अवधि (वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2027-28) के लिए टैरिफ निर्धारित करने के मामले में

जारी करने की तारीख: 08.01.2024

ऐरा भवन
प्रशासनिक कॉम्प्लेक्स
सफदरजंग हवाईअड्डा
नई दिल्ली- 110003

अध्याय 7 : प्राधिकरण के निर्णयों का सार

मैसर्स आईवीपीएल के संबंध में लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, वाराणसी में ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए टैरिफ निर्धारण कार्य संबंधी संगत अध्यायों के संबंध में प्राधिकरण के निर्णयों का सार इस प्रकार है:

अध्याय	पैरा	प्राधिकरण के निर्णयों का सार	पृष्ठ संख्या
अध्याय संख्या 2	2.7	प्राधिकरण मैसर्स आईवीपीएल के लिए लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, वाराणसी में स्वतंत्र सेवा प्रदाता द्वारा प्रदान की जा रही ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के संबंध में प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारण कार्य को “लाइट टच अप्रोच” के अंतर्गत मानने का निर्णय लेता है, क्योंकि विनियमित सेवा ‘मटीरियल नहीं’ समझी जाती है।	9
अध्याय संख्या 3	3.14	प्राधिकरण तालिका 3 के अनुसार प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए विमान यातायात (स्वतंत्र सेवा प्रदाता द्वारा संचालित की जाने वाली उड़ानों) को मानने का निर्णय लेता है।	12
अध्याय संख्या 4	4.9	प्राधिकरण तालिका 4 के अनुसार प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए अनुमानित कैपेक्स को मानने का निर्णय लेता है।	14
अध्याय संख्या 5	5.15	प्राधिकरण तालिका 6 के अनुसार प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए ओपेक्स को मानने का निर्णय लेता है।	19
अध्याय संख्या 6	6.18	प्राधिकरण मैसर्स आईवीपीएल द्वारा लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, वाराणसी में शेड्यूल्ड उड़ानों, अंतरराष्ट्रीय “नॉन शेड्यूल्ड और सामान्य विमानन उड़ानों” के संबंध में प्रदान की जाने वाली ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के लिए प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए संलग्नक (I,II और III) के अनुसार टैरिफ दरों और ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के लिए मद-वार टैरिफ दर कार्ड को मानने का निर्णय लेता है।	25
	6.19	अंतरदेशीय ‘नॉन-शेड्यूल्ड और सामान्य विमानन उड़ानों’ के लिए टैरिफ, समान श्रेणी के विमान(नों) के लिए संगत अंतरदेशीय शेड्यूल्ड उड़ानों के लिए अनुमोदित टैरिफ से अधिक नहीं होगी।	
	6.20	विदेशी मुद्रा में भुगतान किए जाने की स्थिति में भारतीय रिजर्व बैंक की पिछले माह की अंतिम तारीख को विद्यमान मुद्रा परिवर्तन दर पहले पखवाड़े के लिए लागू होगी और माह की पंद्रह (15) तारीख को विद्यमान दर दूसरे पखवाड़े के लिए लागू होगी।	
	6.21	संलग्नक (I,II और III) में इंगित टैरिफ दरें वसूल की जाने वाली अधिकतम टैरिफ होंगी। अनुमोदित टैरिफ दरों के अतिरिक्त अन्य कोई भी प्रभार न लगाया जाए।	
	6.22	प्राधिकरण यह निर्णय लेता है कि मैसर्स आईवीपीएल नागर विमानन मंत्रालय द्वारा इसके दिनांक 27.10.2022 के पत्र संख्या एवी-24011/10/2021-एएआई-एमओसीए द्वारा जारी निदेशों के अनुसार लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, वाराणसी में ग्राउंड हैंडलिंग उपस्कर के मानकीकरण का अनुपालन सुनिश्चित करेगी।	

अध्याय 8 : आदेश

रिकॉर्ड में उपलब्ध तात्विक सामग्री और मैसर्स इंडो थाई वाराणसी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा की गई प्रस्तुति पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरांत प्राधिकरण ऐरा अधिनियम, 2008 की धारा 13(1) (ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा आदेश देता है कि:

- (i) इंडोथाई वाराणसी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, वाराणसी में प्रदान की जाने वाली विनियमित सेवा, अर्थात् ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं “मटीरियल नहीं” समझी जाती है। इसलिए प्राधिकरण ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के संबंध में प्रथम नियंत्रण अवधि (वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2027-28) के लिए टैरिफ निर्धारण के लिए ‘लाइट टच अप्रोच’ अपनाने का निर्णय लेता है।
- (ii) प्राधिकरण यह निर्णय लेता है कि **संलग्नक (I,II और III)** में इंगित टैरिफ दरें वसूल की जाने वाली अधिकतम टैरिफ होंगी। अनुमोदित टैरिफ दरों के अतिरिक्त अन्य कोई भी प्रभार नहीं लगाया जाएगा।
- (iii) प्राधिकरण यह निर्णय लेता है कि अंतरदेशीय “नॉन-शेड्यूल्ड उड़ानों और सामान्य विमानन उड़ानों” के लिए टैरिफ, समान श्रेणी के विमान(नों) के लिए संगत अंतरदेशीय शेड्यूल्ड उड़ानों के लिए अनुमोदित टैरिफ से अधिक नहीं होगी।
- (iv) प्राधिकरण यह निर्णय लेता है कि विदेशी मुद्रा में भुगतान किए जाने की स्थिति में भारतीय रिजर्व बैंक की पिछले माह की अंतिम तारीख को विद्यमान मुद्रा परिवर्तन दर पहले पखवाड़े के लिए लागू होगी और माह की पंद्रह (15) तारीख को विद्यमान दर दूसरे पखवाड़े के लिए लागू होगी।
- (v) इसमें ऊपर निर्धारित टैरिफ में लागू कर, यदि कोई हो, शामिल नहीं है।
- (vi) मैसर्स इंडो थाई ऐरा सीजीएफ दिशा-निर्देश, 2011 (खंड 11.4) के अनुसार लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, वाराणसी में अपने ग्राउंड हैंडलिंग प्रचालनों के लिए अलग लेखों का रख-रखाव करेगी और प्रत्येक टैरिफ वर्ष के अंत में वार्षिक लेखा परीक्षित सांविधिक लेखों सहित वार्षिक अनुपालन विवरण (एसीएस) प्रस्तुत करेगी।
- (vii) यह टैरिफ आदेश **10.01.2024** से प्रभावी होगा।
- (viii) हवाईअड्डा प्रचालक सभी हितधारकों की जानकारी के लिए अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर मैसर्स आईवीपीएल के लिए ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के संबंध में इसमें अनुमोदित टैरिफ दरों को प्रकाशित करेगा।
- (ix) हवाईअड्डा प्रचालक इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

प्राधिकरण की ओर से जारीकर्ता


(सुयश नारायण)
सचिव

सेवामें,

श्री विकास लाडिया, निदेशक,
मैसर्स इंडो थाई वाराणसी प्राइवेट लिमिटेड,
भूतल, हतिया परगना,
शिवपुर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश -221003

प्रतिलिपि सूचनार्थ :

1. सचिव, नागर विमानन मंत्रालय, राजीव गांधी भवन, सफदरजंग हवाईअड्डा, नई दिल्ली-110003
2. अध्यक्ष, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, राजीव गांधी भवन, सफदरजंग हवाईअड्डा, नई दिल्ली-110003
3. हवाईअड्डा निदेशक, लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, वाराणसी, उत्तर प्रदेश -221006



सेवामें,

श्री संदीप कुमार जैन, मुख्य वाणिज्य अधिकारी,
मैसर्स बर्ड एयरपोर्ट सर्विसेज (कोयम्बटूर) प्राइवेट लिमिटेड,
एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स,
कोयम्बटूर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, कोयम्बटूर, तमिल नाडु - 641014

प्रतिलिपि सूचनार्थ :

4. सचिव, नागर विमानन मंत्रालय, राजीव गांधी भवन, सफदरजंग हवाईअड्डा, नई दिल्ली-110003
5. अध्यक्ष, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, राजीव गांधी भवन, सफदरजंग हवाईअड्डा, नई दिल्ली-110003
6. हवाईअड्डा निदेशक, कोयम्बटूर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, कोयम्बटूर, तमिल नाडु -641014